



**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।
इशतिहार नीलाम**


जनपद न्यायालय, बाराबंकी के निष्पयोज्य पुराने जिला जज आवास को गिरवाने एवं उसके मलबे को निर्माण खण्ड-3 उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी द्वारा मूल्यांकन रू0 1,70,217.00 को आरक्षित न्यूनतम धनराशि (Reserved bid) रखते हुए सार्वजनिक नीलामी दि0 23.02.2016 को 04.00 बजे जनपद न्यायालय बाराबंकी के न्यायालय में सम्पन्न होगी।

सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने हेतु धरोहर धनराशि रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार) रुपये नगद अथवा एकत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश बाराबंकी के नाम देय हो, जो सार्वजनिक नीलामी स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में निविदाकर्ता को वापस कर दिये जायेंगे।

सार्वजनिक नीलामी के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय बाराबंकी की आफिसियल वेबसाइट ecourts.gov.in/Barabanki पर उपलब्ध है। सार्वजनिक नीलामी के नियम व शर्तें उपरोक्त वेबसाइट, जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।


(अनंद कान सिंह)
सदस्य
नीलामी समिति /
अपर जिला जज,
न्यायालय सं0 5,
बाराबंकी।


15-2-2016
(राज बहादुर सिंह मांया)
सदस्य,
नीलामी समिति /
अपर जिला जज,
न्यायालय सं0 5,
बाराबंकी।



15/2/2016
(एस0पी0 अरविन्द)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति /
प्रधान न्यायाधीश,
परिवारिक न्यायालय,
बाराबंकी।


प्रतिलिपि:- निम्न को सूचना पत्र पर चस्पा करने तथा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


1. नोकल अधिकारी, बाराबंकी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल वेबसाइट एवं जनपद न्यायालय बाराबंकी की आफिसियल वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
2. जिला मजिस्ट्रेट / एस0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
4. समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
5. जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. कार्यालय लोक निर्माण विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. कार्यालय नगर पालिका के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. कार्यालय जिला परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. अन्य प्रतिष्ठित स्थानों पर चस्पा करने हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।
निष्प्रयोज्य पुराने जिला जज आवास को गिरवाने एवं उसके मलबे के नीलामी के सम्बन्ध में-

1. बोली कर्ता को बोली स्वीकृत किये जाने की दशा में जनपद न्यायालय बाराबंकी, के निष्प्रयोज्य पुराने जिला जज आवास को गिरवाने एवं उसके मलबे को तुरन्त साफ कराना होगा।
2. बोली कर्ता की बोली स्वीकृत किये जाने की दशा में बोली से सम्बन्धित समस्त धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।
3. बोली कर्ता को नीलामी में भाग लेने हेतु धरोहर धनराशि रू० 20,000.00 (रू० बीस हजार) के साथ नगद अथवा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो जनपद न्यायाधीश बाराबंकी के नाम देय हो जमा करना होगा।
4. बोली स्वीकृत न होने की स्थिति में, बोली कर्ता को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में धरोहर धनराशि वापस कर दिया जायेगा।
5. बोली कर्ता को नीलामी में भाग लेने हेतु धरोहर धनराशि के साथ वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं पहचान पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, उसे संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी को यह अधिकार होगा कि वह बोली को बिना कोई कारण निरस्त कर दे।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, बाराबंकी होगा।
8. बोली कर्ता को बोली बोलने से पूर्व निष्प्रयोज्य पुराने जिला जज मकान को देखना चाहें तो देख सकते हैं।


15-2-2016
(उदय मान सिंह)
सदस्य
नीलामी समिति /
अपर जिला जज,
न्यायालय सं० 5,
बाराबंकी।


15-2-2016
(राज बहादुर सिंह मौर्या)
सदस्य,
नीलामी समिति /
अपर जिला जज,
न्यायालय सं० 5,
बाराबंकी।


15-2-2016
(एस०पी० अरविन्द)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति /
प्रधान न्यायाधीश,
परिवारिक न्यायालय,
बाराबंकी।